निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–01/22
दायरा दिनांक :–15.02.2022
निर्णय दिनांक :– 26.5.22

उनवान

रामबाबू रेगर पुत्र स्व श्री करतूरचन्द रेगर जाति रेगर निवासी चुरेलिया तहसील व जिला बारां हाल निवासी उमा क्लिनिक के पास वाली गली, बालाकुण्ड, केशवपुरा कोटा जिला कोटा।

बनाम

1. ग्राम पंचायत रटावद जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत रटावद पंचायत समिति बारां तहसील व जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

अपील अन्तर्गत धारा 112 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26.5.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन – अपीलान्ट

अभिभाषक वादी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 112 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम चुरेलिया पटवार हल्का रटावद तहसील व जिला बारां में आराजियात खाता संख्या नया 114 पुराना 108 ख0न0 313 रकबा 0.92 है0, ख0न0 497 रकबा 0.03 है0, ख0न0 499 रकबा 0.04 है0, ख0न0 501 रकबा 0.03 है0, ख0न0 545 रकबा 0.05 है0, ख0न0 546 रकबा 0.02 है0, ख0न0 549 रकबा 0.04 है0, ख0न0 553 रकबा 0.14 है0, ख0न0 86 रकबा 0.59 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.86 है0 स्थित है।

उक्त आराजियात पूर्व में अपीलान्ट के पड़दादा श्री किशना पुत्र श्री गोरधन निवासी चुरेलिया तहसील बारां के खाते दर्ज थी। किशना के तीन पुत्र कान्हा, रामनाथ, छोटू थे। किशना पुत्र श्री गोरधन की मृत्यु के बाद इंतकाल नं0 397 दिनांक 06.08.2021 ग्राम पंचायत रटावद द्वारा तस्दीक किया गया है, जो गलत तस्दीक किया गया है। जिसमें मृतक किशना तीनों पुत्रों के स्थान पर दो पुत्रों कान्हा व छोटू के नाम इंतकाल खोला गया है तथा उनके तीसरे पुत्र रामनाथ के नाम इंतकाल नहीं खोला गया है। रामनाथ की मृत्यु दिनांक 04.10. 1980 हो गई है। मृतक रामनाथ का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से उसके वारिस एवं उत्तराधिकारीयों का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2022.04.30 10:47:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

मृतक किशना के नाम खोला गया इंतकाल नं0 397 दिनांक 06.08.2021 में उनके सम्पूर्ण वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। इस वजह से अपीलान्ट उक्त आराजियात में अपना नाम दर्ज नहीं होने के कारण उक्त आराजियात पर मिलने सरकारी योजनाओं के लाभ, के0सी0सी0 एवं फसल मुआवजा राशि आदि से वंचित हो रहा है। इस कारण खोला गया इंतकाल स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त इंतकाल खोले जाने से पूर्व पटवार हल्का सांगोद व पटवार हल्का धूलेट द्वारा दिनांक 29.07.2021 व दिनांक 30.07.2021 की गई जांच सही तरीके से नहीं की गई इस वजह से मृतक किशना के एक पुत्र रामनाथ का नाम उक्त इंतकाल में दर्ज होने से रह गया है। इसलिये उक्त इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त इतंकाल की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.11.2021 को बताये जाने पर हुई। उसके बाद अपीलान्ट ने उक्त इंतकाल की नकल लेने हेतु आवेदन दिनांक 24.11.2021 को किया। जिसकी सत्य प्रतिलिपि दिनांक 29.11.2021 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात कोविड 19 के कारण न्यायालयों में कार्यवाही नहीं होने के कारण एवं दिनांक 10.02.2022 से स्थितियां सामान्य होने एवं न्यायालयों में कार्यवाही सुचारू होने के कारण इन्तकाल नं0 397 दिनांक 06.08.2021 से दिनांक 10.02.2022 तक की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद पेश है। इसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 के नोटिस बाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामा0 397 दिनांक 29.07.2021 ग्राम चुरेलिया, नकल जमाबन्दी ग्राम चुरेलिया सम्वत 2073–76 खाता सं0 114, नकल मोका पर्चा दिनांक 01.09.2021, नकल मोका पर्चा प0 मण्डल सांगोद, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 10.07.2020 मृतक रामनाथ, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक कस्तूरचन्द दिनांक 03.11.2015, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक कान्ही बाई दिनांक 14.10.2020 फोटो प्रति राशन कार्ड, आधार कार्ड रामबाबू पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। बहस के दोरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चुरेलिया में स्थित है। विवादित आराजी पूर्व में अपीलान्ट के परदादा श्री किशना पुत्र गोरधन के खाते दर्ज थी। किशना के तीन पुत्र कान्हा, रामनाथ, छोटू थे। किशना पुत्र गोरधन की मृत्यु के बाद नामा0 सं0 397 दि[illegible]08.2021 ग्राम पंचायत रटावद द्वारा तस्दीक किया गया है, जो गलत तस्दीक किया गया [illegible] मृतक किशना तीनों पुत्रों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

स्थान पर दो पुत्रों कान्हा व छोटू के नाम इंतकाल खोला गया है तथा उनके तीसरे पुत्र रामनाथ के नाम इंतकाल नहीं खोला गया है। रामनाथ की मृत्यु दिनांक 04.10.1980 हो गई है। मृतक रामनाथ का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से उसके वारिस एवं उत्तराधिकारीयों का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया है। मृतक किशना के नाम खोला गया इंतकाल नं0 397 दिनांक 06.08.2021 में उनके सम्पूर्ण वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। नामान्तरण खालते समय पूर्व पटवार हल्का सांगोद व पटवार हल्का धूलेट द्वारा दिनांक 29.07.2021 व दिनांक 30.07.2021 की गई जांच सही तरीके से नहीं की गई इस वजह से मृतक किशना के एक पुत्र रामनाथ का नाम नामान्तरण दर्ज होने से रह गया है। उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामा0 सं0 397 दिनांक 06.08.2021 खारिज फरमाया जाकर सभी वेध वारिसान के नाम नामान्तरण खोला जावे।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल नामा0 397 दिनांक 06.08.2021 के अनुसार पटवारी हल्का सांगोद व धूलेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर नामा0 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। नकल मोका पर्चा प0म0 सांगोद के अनुसार मृतक रामनाथ के दो पुत्र कस्तूरचन्द व तोलाराम फोत, पुत्री सुरजीबाई, पत्नी कान्हीबाई फोत होना दर्ज है इससे यह साबित होता है कि मृतक रामनाथ के दो पुत्र व एक पुत्री होना बताया है पुत्र तोलाराम व कस्तूरचन्द फोत होना बताया गया है जबकि मृतक किशना के तीन पुत्र कान्हा, रामनाथ, छोटू थे कान्हा व छोटू के नाम नामा0 खोला जाकर तस्दीक किया गया है। परन्तु तीसरे पुत्र मृतक रामनाथ के वारिसान के नाम नामा0 नहीं खोला गया है। जबकि मृतक रामनाथ भी मृतक किशना का पुत्र था। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मृतक किशना के सम्पूर्ण वारिसान की जांच कर पुनः नामा0 खोला जाकर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार, बारां को दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामा0 सं0 397 दिनांक 06.08.2021 खारिज किया जाता है। तहसीलदार बारां को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चुरेलिया तहसील बारां की आराजी खाता सं0 114 के मृतक खातेदार किशना के सम्पूर्ण वारिसान की जांच कर पुनः नामा0 खोला जाकर तस्दीक करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:06 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner